झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या–07

पंचदश (बजट) सत्र
शनिवार, दिनांकः–02 मार्च, 2024 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 08:37 अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआः–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–23

(क) अनागत कुल–23 क्रम संख्या–124 से 146 तक।

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या–32

(क) अनागत कुल–32 क्र० सं०–146 से 177 तक।

सूचना का दिया जाना

1. प्रश्नकाल आरंभ होते ही श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० ने सूचना पर खड़े होकर सूचित किया कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन जेल में बंद है। पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक के बयान के कारण उन्हें सीबीआई की नोटिस दी गई है। उसी प्रकार श्री अखिलेश यादव को सीबीआई की नोटिस दी गई। इस विषय पर नियम–53 के तहत दी गई नोटिस पर विशेष चर्चा का आग्रह करते हैं। इसपर आसन का फैसला चाहते हैं।
2. श्री अमित कुमार मण्डल, स०वि०स० ने सूचित किया कि हंसडीहा में एक विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को थाना और एस०पी० लीपापोती करने में लगे हैं।

(शोरगुल व प्रदर्शन के कारण 11:13 बजे पूर्वा० में सदन की कार्यवाही 12:00 बजे मध्या० तक के लिए स्थगित करने की घोषणा आसन से की गयी)

2. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाओं में से माननीय सदस्य श्री उमाशंकर अकेला द्वारा सदन में शून्यकाल की सूचना पढ़ी गयी तथा शेष शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए लिखित उत्तर के लिए संबंधित विभागों में भेजे जाने हेतु आसन से निदेश दिया गया।

3. सभा पटल पर प्रतिवेदन का उपस्थापन

1. आसन की अनुमति से प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग, श्री बन्ना गुप्ता द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम (1948 का अधिनियम–XIV) के अनुसरण में दामोदर घाटी निगम का वित्तीय वर्ष 2023–24 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 का वार्षिक बजट प्रतिवेदन की एक–एक प्रति सभा पटल पर उपस्थापित की गई।

2. आसन से पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री सरयू राय द्वारा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का तीसवाँ प्रतिवेदन की प्रति झारखण्ड विधान सभा का प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–216(1) के तहत सदन पटल पर उपस्थापित किया गया।

समिति का गठन

आसन से पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–237, 239 तथा 241 के अधीन क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन हेतु अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव सदन में रखा गया, जिसपर सर्वसम्मति से सभा द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

(शोरगुल व प्रदर्शन के कारण 12:08 बजे पूर्वा0 में सदन की कार्यवाही 02:00 बजे अप0 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा आसन से की गयी)

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

9.विधायी कार्य

(क) झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (निरसन) विधेयक, 2024

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ0 रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड–02 से खण्ड–03 तक, खण्ड–01, प्रस्तावना तथा नाम बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (निरसन) विधेयक, 2024"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, डॉ0 लम्बोदर महतो द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(ख) इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2024

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

पुरःस्थापनोपरान्त माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह एवं डॉ0 लम्बोदर महतो द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव **"इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2024"** प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें", पर अपना पक्ष रखा। तदुपरान्त माननीय मंत्री द्वारा आसन से इसे प्रवर समिति को भेजे जाने का अनुरोध किया गया, जिसे आसन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

(ग) झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ0 रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के ''खण्ड–02'', ''खण्ड–03–04'', ''खण्ड–01'', ''प्रस्तावना'' तथा ''नाम'' बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

ह0 ४.३0

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(घ) झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण विधेयक, 2024

माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग, श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के "खण्ड–02 से खण्ड–22 तक", "खण्ड–01", "प्रस्तावना" तथा "नाम" बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण विधेयक, 2024"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(ङ.) झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। इसी क्रम में माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा टंकण भूल का उल्लेख करते हुए कहा कि कंडिका (2) को कंडिका (1), कंडिका (3) को कंडिका (2), कंडिका (4) को कंडिका (3) पढ़ा जाए, जिसे सभा की सहमति से स्वीकार किया गया।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के "खण्ड–02 से खण्ड–03 तक", "खण्ड–01", "प्रस्तावना" तथा "नाम" बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

5. गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ

पंचम झारखण्ड विधान सभा के पंचदश (बजट) सत्र में निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा गैर–सरकारी संकल्प की सूचनाएँ पढ़ी गयी, जिन्हें सरकारी उत्तर के पश्चात् उनके द्वारा वापस लिया गया अथवा ध्वनिमत से अमान्य किया गयाः–

क्र०सं०	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	स्थिति
1.	श्री सुखराम उराँव, स०वि०स०	पश्चिमी सिंहभूम जिलांतर्गत चक्रधरपुर के आसनतलिया में 20 करोड़ की लागत से तैयार एस0डी0जे0एम0 न्यायालय भवन का उपयोग कर सुचारू रूप से कार्य चालू कराना।	वापस
2.	श्री राजेश कच्छप, स०वि०स०	सी0एन0टी0 एक्ट–1908 की Fundamental स्वरूप की रक्षा करने, उल्लंघन के मामले में संज्ञान लेने तथा दखल दिहानी सुनिश्चित कराना।	वापस
3.	श्री विकास कुमार मुण्डा, स०वि०स०	Utkal University of Culture, Odisha के तर्ज पर झारखण्ड में भी कला एवं संस्कृति का एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना।	वापस
4.	श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स०	पलामू जिलान्तर्गत कोयल नदी के तट बेलवाटीकर स्थित पम्पुकल एवं शिवाली रोड स्थित कोयल नदी में बीयर बांध का निर्माण कराया जाना।	वापस

क्र० पृ० 30 —

5.	श्री कोचे मुण्डा, स०वि०स०	सिमडेगा जिलान्तर्गत प्रखण्ड बानो के छः पंचायतों हुरदा, गेनमेर, रायकेरा, साहुबेड़ा, बिनतुका, जामताई एवं डुमरिया को मिलाकर हुरदा को प्रखण्ड बनाया जाना।	वापस
6.	श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स०	खान विभाग गिरिडीह/कोडरमा क्षेत्र में अबरख/ढिबरा चुनने वाले ग्रामीणों के लिए सुस्पष्ट नीति बनाया जाना ताकि उस पर आश्रित ग्रामीणों को रोजगार की सुविधा हो।	वापस
7	श्री उमाशंकर अकेला, स०वि०स०	हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना किया जाना।	वापस
8	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, स०वि०स०	बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के अंगीभूत महाविद्यालय आर0एस0पी0, कॉलेज, झरिया का स्थायी भवन के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय से प्राप्त डी0पी0आर0 पर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची से तकनीकी अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर महाविद्यालय भवन का निर्माण कराया जाना।	वापस
9	श्री समीर कुमार महान्ती, स०वि०स०	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत बहरागोड़ा बाजार से बहरागोड़ा बस पड़ाव तक जाने वाली सड़क एवं NH-18 फोर लेन का संयोग स्थल है PWD चौक, जहाँ अंडर पास निर्माण कराने हेतु केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय को पत्र भेजा जाना।	वापस
10	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स०वि०स०	पलामू जिलान्तर्गत मनातु, तरसही एवं पांकी प्रखण्ड को मिलाकर पांकी को अनुमण्डल का दर्जा दिया जाना।	वापस
11	श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स०	मणिका विधान सभा क्षेत्र स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू वन्य प्राणी आश्रयणी एवं महुआडांड आश्रयणी का अधिकांश क्षेत्र ECO Sensetive Zone घोषित है, को पर्यटन, कृषि, सिंचाई, गृह उद्योग आधारित कार्य इत्यादि विशेष पैकेज के तहत् मुहैया कराया जाना साथ ही ECO Sensetive Zone के परिधि क्षेत्र को कम किया जाना।	वापस
12	श्री अमित कुमार मंडल, स०वि०स०	गोड्डा जिलान्तर्गत दो मुंही NH-1 सड़क से बसंतराय प्रखण्ड मुख्यालय समेत दो राज्यों को जोड़ने वाली P.W.D. मुख्य सड़क D.L.P. के कारण लॉक इन पीरियड के कारण सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव सरकार (विभाग) के पास नहीं है। जबकि उक्त सड़क से रेलवे लाईन, बाईपास NH-1 सड़क गुजर रही है, जिस कारण यातायात का भारी दबाव बना हुआ है। जिसे देखते हुए लॉकइन पीरियड को हटाते हुए चौड़ीकरण सड़क निर्माण कराया जाना।	वापस
(इस अवसर पर सभापति श्री रामचन्द्र सिंह ने आसन ग्रहण किया) **(सभा की सहमति से सभा का कार्यकाल सभा की समाप्ति तक के लिए बढायी गई)**			
13	डॉ0 लम्बोदर महतो, स०वि०स० (इस अवसर पर सभापति, श्री रामचन्द्र सिंह ने आसन ग्रहण किया।)	बोकारो जिले के गोमिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत – 1. गझंडी से हुरलुंग भाया चतरोचट्टी पथ। 2. ललपनिया से रजरप्पा भाया बड़की पुन्नु पथ। 3. डगातु गोला से बिनोद बिहारी महतो चौक खुदीबेड़ा भाया केदला–हिसिम पथ।	वापस

ह0 ह0 30 —

		4. मकुनी टुंगरी से रजरप्पा तक भाया तिरला/महुआटांड/बड़की पुन्नु पथ। तथा 5. तेनुघाट कैनाल नहर पथ तेहनुघाट से खेतको भाया चलकरी पथ का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति दिया जाना।	
14	श्री जिग्गा सुसारण होरो, स०वि०स०	गुमला जिलान्तर्गत सिसई प्रखण्ड को सुखाग्रस्त घोषित किया जाना।	वापस
15	श्री नवीन जयसवाल, स०वि०स०	राँची जिलान्तर्गत जगरनाथपुर, धुर्वा के आस-पास क्षेत्र यथा मामा नगर, लंका कॉलोनी, सुन्दर नगर, भुसुर, न्यू कॉलोनी, बर-झापड़ी, जगरनाथपुर खटाल, लीची बागान एवं हटिया स्थित नायक बस्ती में वर्षो से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे गरीब जनता को यथावत उसी स्थान में निवास कराना।	वापस
16	श्री प्रदीप यादव, स०वि०स०	गोड्डा जिला के प्रखण्ड पोडैयाहाट एवं गोड्डा के 10 पंचायतों को मिलाकर देवडांड को नया प्रखण्ड बनाया जाना।	वापस
17	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, स०वि०स०	विश्रामपुर विधान सभा क्षेत्र के विश्रामपुर, पाण्डु, नावा बाजार तथा उटारी रोड प्रखण्ड को मिलाकर विश्रामपुर को अनुमंडल का दर्जा दिया जाना।	वापस
18	श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० (इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)	नवनिर्मित बोकारो एयरपोर्ट में एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाने के साथ-साथ उक्त इलाके में अवस्थित बूचड़खानों एवं मांस का व्यापार करने वालो को फ्लाईट ऑपरेशन के सुरक्षा कारणों से हटवाया जाना।	वापस
19	श्री नलिन सोरेन, स०वि०स०	चालू वित्तीय वर्ष में दुमका खंडपीठ स्थापित कर संथालपरगना क्षेत्र के लंबित केस/मुकदमों की सुनवाई शुरू कराया जाना।	वापस
20	श्री ढुलू महतो, स०वि०स०	धनबाद जिले में एस.एस.पी. संजीव कुमार के कार्यकाल के दौरान अवैध खनन की जाँच सीबीआई से कराया जाना।	अपृष्ट
21	श्रीमती सुनिता चौधरी, स०वि०स०	रामगढ़ जिला के गोला प्रखण्ड स्थित भैरवा जलाशय के दोनों ओर नहर निर्माण कराया जाना।	वापस
22	डॉ0 इरफान अंसारी, स०वि०स०	जामताड़ा जिलान्तर्गत गायछंद मोड़ से जामताड़ा कोर्ट रोड के बीच व्यापक लोकहित में फ्लाई ओवर निर्माण कराया जाना।	वापस
23	श्री सुदिव्य कुमार, स०वि०स० (प्राधिकृत सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो द्वारा पूछा गया।)	गिरिडीह जिला के मौजा जरीडीह पचम्बा में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराया जाना।	वापस
24	श्री नारायण दास, स०वि०स०	देवघर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए बीसीसीआई को 500 एकड़ जमीन उपलब्ध कराते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कराया जाना।	वापस
25	श्री लोबिन हेम्ब्रम, स०वि०स०	राज्य में लागू तीन कानून यथा सीएनटी एक्ट-1908, एसपीटी एक्ट-1949 एवं P-PESA-1996 का उल्लंघन की उच्च स्तरीय जाँच कर आदिवासियों एवं मूल निवासियों को बचाया जाना।	वापस
26	श्री सुदेश कुमार महतो, स०वि०स०	जे.एस.एस.सी. सी.जी.एल. परीक्षा पेपर लीक मामले में सी.बी.आई. जांच के साथ ही आंदोलनरत युवाओं पर दर्ज प्राथमिकी को निरस्त	ध्वनिमत से

क्र०-प्र०-उ० —

	(प्राधिकृत सदस्य डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा पूछा गया।)	किया जाना।	अस्वीकृत
27	सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स०	हजारीबाग जिलान्तर्गत पंकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना से विस्थापित रैयतों को कंपनी द्वारा खनन कार्य शुरू करने वाले वर्ष को आधार मानते हुए मुआवजा एवं अन्य लाभ उपलब्ध कराना	ध्वनिमत से अस्वीकृत
28	श्री भानु प्रताप शाही, स०वि०स०	राज्य सरकार के अंदर पिछले 10–12 साल से अनुबंध कर्मी जैसे– पारा शिक्षक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सहिया सेविका, सहायिका लैब टेक्नीशियन, एएनएम पारा मेडिकल, चालक, सहायक पुलिस एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी को स्थायीकरण/नियमितीकरण करते हुए सभी को एक सम्मानजनक वेतनमान दिया जाना।	ध्वनिमत से अस्वीकृत
29	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, स०वि०स०	कोलेबिरा विधान सभा क्षेत्र समेत सिमडेगा और कई प्रखण्डों में आये दिन हाथियों एवं मानव समुदायों के बीच भोजन एवं पानी को लेकर टकराव होती रहती है, जिसके कारण जान–माल का नुकसान होता रहता है। जिसका स्थायी समाधान किया जाना।	वापस
30	श्री जयप्रकाश भाई पटेल, स०वि०स०	झारखण्ड अलग राज्य के आंदोलन में शहीदों को शहीद का दर्जा देकर उनके परिजनों को सीधे सरकारी नौकरी दिया जाना।	वापस
31	श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स०	सहेबगंज सहित राज्य के अन्य जिले में खसमहाल प्रकृति वाली भूमि को फ्रीहोल्ड कराते हुए जमीन का रजिस्ट्री/निबंधन प्रक्रिया को और भी सरलीकृत कराते हुए उक्त योजना के लाभुकों के आवास निर्माण व अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलाना।	वापस
32	श्री सरयू राय, स०वि०स०	जमशेदपुर स्थित दिवालिया हो चुकी इंडियन केबुल कंपनी (इंकैब) की करीब 177 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में लेकर औद्योगिक गतिविधियां आरंभ करने के साथ–साथ केबुल कर्मियों का वेतन भत्ता मद में बकाया का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए एनसीएलटी में चल रहे मुकदमा में श्रमिकों के पक्ष में एक स्वभारित हस्तक्षेप याचिका दायर करना तथा खेल–कूद सुविधा को प्रोत्साहन देने के लिए उक्त जमीन पर एक विश्वस्तरीय स्टेडियम एवं सांस्कृतिक–कला केन्द्र का निर्माण कराना।	वापस
33	श्री किशुन कुमार दास, स०वि०स०	टंडवा पुनर्गठन ग्रामीण जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन अतिशीघ्र प्रारंभ कराकर जलापूर्ति अविलम्ब कराया जाना।	वापस
34	श्री केदार हजरा, स०वि०स०	जमुआ विधान सभा क्षेत्र के हीरोडीह एवं जमुआ को प्रखण्ड घोषित किया जाना।	वापस
35	श्रीमती दीपिक पाण्डेय सिंह, स०वि०स०	महागामा विधान सभा क्षेत्र के सोनेपुर वीयर के मुख्य नहर के जीर्णोद्धार कार्य तथा सुन्दर डॉया मुख्य नहर के CH635(END POINT) से लावाभुजानी चेकडैम तक नहर निर्माण योजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना।	वापस
36	श्री मनीष जायसवाल, स०वि०स०	हजारीबाग सहित राज्य के अन्य जिलों में भूमिधारकों को मुआवजा राशि का भुगतान कराना तथा भूमि का मालिकाना हक दिलाना।	वापस
37	श्री राज सिन्हा, स०वि०स०	बिरसा मुण्डा चौक, बैंक मोड़ से पुराना बाजार पानी टंकी जोड़ा फाटक रोड होते हुए धनसार तक के सड़क को चार लेन में बदला जाना।	वापस

— ह० अ० —

38	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, स०वि०स०	राँची जिलान्तर्गत लापुंग प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज की स्थापना कराया जाना।	वापस
39	श्री दशरथ गागराई, स०वि०स०	सरायकेला–खरसावां जिला के आमदा में निर्माणाधीन 500–बेड वाले अस्पताल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	वापस
40	श्री अमित कुमार यादव, स०वि०स०	हजारीबाग जिलान्तर्गत विज्ञापन संख्या–01/2019 के तहत् गृह रक्षक नियुक्ति का लंबित परीक्षाफल का परिणाम अविलम्ब कराना।	वापस
41	श्री निरल पुरती, स०वि०स०	पश्चिमी सिंहभूम जिला के सदर अनुमंडल अंतर्गत तांतनगर के सिलपुंजी में डिग्री कॉलेज बनाया जाना।	वापस
42	श्री सोनाराम सिंकू, स०वि०स०	पश्चिमी सिंहभूम जिला ईकाई केक जगन्नाथपुर अनुमंडल कार्यालय में कार्य सुचारू रूप से संचालित कराना।	वापस

इसके उपरान्त आसन की अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री सह सदन नेता, श्री चम्पाई सोरेन ने सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जिसमें वर्तमान सरकार द्वारा अब तक हासिल की गयी उपलब्धियों तथा किये जा रहे विकासात्मक कार्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए अपनी प्रबल भावनाओं को भी अभिव्यक्त किया।

(इस क्रम में विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने 07:44 बजे अप0 में सदन का परित्याग किया।)

6. समापन भाषण

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के पंचदश (बजट) सत्र के समापन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभा में उपस्थित माननीय सदस्यगण को संबोधित करते हुए कहा कि–

यह बजट सत्र पिछले 4 वर्षों में हमारी उपलब्धियों को बताने के साथ–साथ आने वाले इस विधान सभा के शेष बचे समय में निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों को भी प्रस्तुत करता है। माननीय वित्त मंत्री के द्वारा लम्बे जनभागीदारी के उपरान्त इस बजट की तैयारी की गई है और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए उन्होंने एक लाख अट्ठाईस हजार नौ सौ करोड़ रूपये का बजट झारखण्ड विधान सभा में प्रस्तुत किया है, जो कि विगत् वर्ष से 10 प्रतिशत से भी अधिक है।

माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण से यह जानकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि सरकार ने 2030 तक झारखण्ड को 10 ट्रिलियन (दस लाख करोड़) रूपये की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। आंकड़ों के अनुसार झारखण्ड का जी0एस0डी0पी0 (Gross State Domestic Product) राज्य की मौजूदा कीमतों के आधार पर वर्ष 2011–12 से 2022–23 के बीच 9.1 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। वर्ष 2015–16 में कमजोर मानसून, वर्ष 2019–20 में आर्थिक मंदी और वर्ष 2020–21 में Covid महामारी के बावजूद इन 10 वर्षों के दौरान विकास की यह रफ्तार बनाए रखना राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि है। विकास का तात्पर्य मात्र संरचना निर्माण नहीं बल्कि मानव संसाधन का समावेशी विकास है। वर्तमान सरकार ने अपने पहले बजट में ही यह स्पष्ट कर दिया था और सरकार की योजनाओं में चाहे वो अबुआ आवास योजना हो, सर्वजन पेंशन योजना हो, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना हो अथवा मरांग गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना हो, सभी योजनाएँ समावेशी विकास के उसी मूल मंत्र से पिरोयी गई है।

इस सत्र में स्वीकृत अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या 146 एवं तारांकित प्रश्नों की संख्या 177 है। अर्थात् कुल 323 प्रश्न स्वीकृत हुए। इनमें से 16 अल्पसूचित प्रश्न एवं 17 तारांकित प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। विभागों से कुल 299 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए तथा शेष 24 प्रश्नों के उत्तर विभाग में लंबित है। ऑनलाईन प्रश्नोत्तर सूचना प्रणाली के माध्यम से 73.46 प्रतिशत उत्तर प्राप्त हुए हैं। 135 शून्यकाल स्वीकृत हुए। 30 ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत हुई एवं 05 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सभा में उत्तरित हुई, 01 ध्यानाकर्षण सूचना पर विशेष समिति का गठन किया गया है तथा 24 लंबित ध्यानाकर्षण सूचनाओं को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपूर्द किया गया है। 28 निवेदन स्वीकृत हुई।

आज इस समापन भाषण में इस अध्यक्षीय पीठ से इस बात की चर्चा भी मैं आवश्यक सम्‌झाता हूँ कि बीते 4 वर्षों के दौरान मैंने हर संभव प्रयास किया कि इस अध्यक्षीय पीठ की गरिमा अक्षण्ण रखी जाय। इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा कुछेक असंसदीय शब्द का भी प्रयोग किया गया। मैं समझता हूँ के माननीय सदस्यों को संसदीय एवं असंसदीय शब्दों की पहचान एवं उपर्युक्त शब्द प्रयोग करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए।

06 जनवरी, 2020 को जब आप माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से मुझे इस आसन पर बैठाया था, तब से आजतक मैंने ब्रिटिश भारत के केन्द्रीय विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल की उस बात को मन में संजोए रखा हूँ कि "From this moment I seize to be a party man, I belong to no party I belong to all parties".

इस मूल मंत्र को साथ रखकर मैंने आप सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से पंचम् झारखण्ड विधान सभा को विधायी क्षेत्र में उत्कृष्ट रखने का हर संभव प्रयास किया है। पंचम् झारखण्ड विधान सभा के दौरान ही हम पुराने विधान सभा से नये विधान सभा भवन में स्थानांतरित हुए।

झारखण्ड विधान सभा दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता के निमय–2006 से अध्यक्ष के स्वतः संज्ञान की शक्ति को विलोपित, आप सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से किया गया है जो संसदीय इतिहास में अक्षुण्ण रहेगा। जन–जन तक उनके जन प्रतिनिधियों की आवाज पहुँचाने के उद्देश्य से झारखण्ड विधान सभा TV अधिष्ठापित की गई जिसका लाभ हमसब महसूस कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि कई एक क्षेत्रीय भाषाओं में विधान सभा की कार्यवाही को प्रसारित किया। पहली बार विधान सभा द्वारा युवाओं को संसदीय प्रणाली के प्रति जागरूक करने के लिए छात्र संसद का आयोजन कराया गया।

कार्यपालिका और विधायिका के बीच बेहतर समन्वय के लिए राज्य सरकार के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण विधान सभा के द्वारा कराया गया। वर्तमान समय में संघ और राज्यों का संबंध अपने कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस पर परिचर्चा के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कराया गया जिसमें देश के बड़े–बड़े विधि विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे।

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के दौरान कई ऐतिहासिक विधेयक भी पारित कराये गए परन्तु कुछेक ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक अभी तक कानून का रूप नहीं ले पाए हैं। यह एक विचारणीय विषय है। पंचम् झारखण्ड विधान सभा को आगे इतिहास ऐसे भी याद रखेगा कि चुनी हुई सरकार को विधान सभा में स्पष्ट बहुमत के बावजूद तीन–तीन बार विश्वासमत हासिल करना पड़ा या शायद इसलिए भी कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण सत्र में भाग लेने से वंचित कर दिया गया जो संसदीय इतिहास में एक विरल उदाहरण है।

स्पष्ट रूप से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में संसद और विधान सभाओं में जनप्रतिनिधि केवल अपनी व्यक्तिगत, मौलिक, संवैधानिक अथवा वैधानिक अधिकार का ही प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि उनके साथ उनके क्षेत्र की जनता का अधिकार भी जुड़ा होता है। जिन्होंने कई उम्मीदवारों के बीच से चुनकर अपनी बात रखने के लिए उन्हें सदन में भेजा होता है। ऐसे में मात्र इसलिए कि सभा में उनके भाग लेने अथवा नहीं लेने से सरकार के अस्तित्व पर कोई असर पड़ेगा अथवा नहीं, इस तर्क के आधार पर सभा में भाग लेने से उन्हें वंचित किया जाना कितना न्यायसंगत है? यह भी एक विचारणीय विषय है। एक बार हम सबको विचार करना होगा क्योंकि इतिहास हम सबसे यह प्रश्न करेगा कि हमने संसदीय लोकतंत्र को इतना कमजोर कैसे कर दिया था।

माननीय सदस्यगण, जब हम संसदीय लोकतंत्र की बात करते हैं, तब हम पक्ष और विपक्ष के समेकित शक्ति की बात करते हैं जो शक्ति राज्य और देश के अंतिम सम्प्रभु देश की जनता से हमें प्राप्त होती है। यही शक्ति है, जिस शक्ति से संविधान का आत्मार्पण संभव होता है। यह वही शक्ति है जिसके सामने नतमस्तक हो "**जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता**" हम गाते हैं।

माननीय सदस्यगण, हम सबको लोकतंत्र की उस शक्ति को पहचानना होगा। व्यक्ति पूजा से आगे बढ़कर संस्थाओं को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि व्यक्ति से ज्यादा लम्बी आयु संस्थाओं की है और अगर हम

ह० ए० ३० –